

(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 349-तीन/2008 - विरुद्ध आदेश दिनांक 20-3-2008 - पारित क्षारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 93/2007-08 निगरानी

- 1- मु.मानवती पत्नि दसमति भुर्तिया
 - 2- पवन 3- पंकज पुत्रगण दसमति भुर्तिया
- ग्राम हाट तहसील हनुमना जिला रीवा

—आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- भगवत पुत्र छोटेलाल (मृत वारिस)
- अ- सुब्दरी पत्नि स्व. छोटेलाल
- ब- विजयबहादुर पुत्र स्व.छोटेलाल
- 2- जंगबनाथ पुत्र रामचरण

निवासीगण ग्राम हाट तहसील हनुमना जिला रीवा

—अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक ५ - १०-२०१७ को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 93/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमना ने ग्राम की नामान्तरण पैंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 2-3-2007 से उभय पक्ष के बीच बटवारा करते हुये भूमि के बटांक कायम करके नवशा तरमीम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा के

समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 424/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 93/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 से तहसीलदार हनुमना का नामान्तरण पैंजी के सरल क्रमांक 9 पर दिया गया आदेश दिनांक 2-3-2007 एंव अपर कलेक्टर रीवा का प्रकरण क्रमांक 424/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-2007 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस बिर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाय तथा मौके की स्थिति का भौतिक सत्यापन हेतु स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाय, तदुपरांत नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया जाय। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने विधिवत् कार्यवाही करके बट्वारा करने एंव नक्शा तरमीम कराये जाने के आदेश दिये हैं जिनमें किसी प्रकार की कमवेशी नहीं थी जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 424/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-2007 से तहसीलदार की कार्यवाही को उचित माना है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 93/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 से नक्शा तरमीम निरस्त करने के साथ साथ बट्वारा आदेश भी गलत ढंग से निरस्त किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर के आदेश को एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-3-07 को चयावत् रखा जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार हनुमना बारा ग्राम की नामान्तरण पैंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 2-3-2007 से किये गये बट्वारा एंव नक्शा तरमीम वावत् दिये गये आदेश के अवलोकन से परिलक्षित है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा

१७८ में दिये गये बटवारा नियमों के अनुसार ग्राम की नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश नहीं दिया जा सकता है बटवारे के लिये तहसील न्यायालय में प्रथक से आवेदन करना होगा एंव बटवारे हेतु नियत की गई शुल्क भी थासन हित में चुकाना होगी। जहाँ तक बटवारा पंजी पर नक्शा तरमीम के दिये गये आदेश का प्रश्न है ? तहसीलदार का आदेश दिनांक २-३-०७ इस प्रकार है :-
“अतः फर्द बटवारा में संलग्न बटवारा प्रमाणित किया जाता है। प्रस्तावित तरमीम प्रस्ताव के अनुसार पटवारी हलका लालस्याही से नक्शे में तर्मीम करे।” यदि तहसीलदार हनुमना की कार्यवाही को विधि अनुरूप परखा जावे - तहसीलदार ने नामान्तरण पंजी पर बटवारा किया है एंव नक्शा तरमीम का भी आदेश दिया है। बटवारा आदेश संहिता की धारा १७८ के अंतर्गत है एंव नक्शा तरमीम आदेश संहिता की धारा ६४ सहपठित ७० के अंतर्गत है और दोनों ही कार्यवाहियों वावत् पारित आदेश अपील योग्य है परन्तु अपील योग्य आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा ने निगरानी प्रकरण क्रमांक ४२४/२००६-०७ अ-७४ पंजीबद्ध करके सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक १०-१०-२००७ पारित किया है जो न्याय प्रक्रिया पर आधारित नहीं है जिसके कारण ऐसे वृत्तिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त रीवा संभाग ने ठीक ही निरस्त किया है। जहाँ तक तहसीलदार के नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक ९ पर दिये गये बटवारा आदेश एंव नक्शा तरमीम आदेश का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर उक्त धाराओं के अंतर्गत की गई एकाग्री कार्यवाही भी दूषित प्रक्रिया पर आधारित होने से अपर आयुक्त रीवा संभाग ने निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक २०-३-०८ हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

६/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक ९३/०७-०८ निगरानी में पारित आदेश दिनांक २०-३-०८ उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।



(एस०एस०अल्वी)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर।